

हाथरी नं० 2861
फाई 21 ल.
दिनांक 31/8/17

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoreforexdivision@rediffmail.com

पत्रांक

574

/12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 31-07-

2017

सेवा में

अधिसूची अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो० नि० वि० रानीखेत।

विषय

कुशीगाड़ - हिरुली बाजार मैथ मार्ग का रामपुर - चौखटिया तक
विस्तार के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन० पी० की धनराशि की जी०।

संदर्भ -

आपकी पत्र सं० 1588/18 सी० / दिनांक 27-7-2017,

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन० पी० की०	1.35 हे० यू० का क्लास	8,45,000=००	11,40,750=००
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	1.35 X 2 = 2.70 हे०	2,53,332=००	6,83,996=००
3	परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना	—	—	—
4	प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	—	—	—

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिसूची अभियन्ता

(एस० आर० प्रजापति)

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा